फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/90 बअनवान विपिन कुमार बनाम पार्थ सुखदेव पटेल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05.05.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री छगनलाल प्रजापत उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र परिहार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की आपत्ति प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी व मूल प्रकरण धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री महेन्द्र परिहार द्वारा बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि जिस भूमि की नक्शा दुरस्ती के लिये प्रकरण पेश किया गया है वह भूमि अप्रार्थी की वाणिज्यिक(होटल एवं रिसोर्ट) की भूमि होने से आवेदन क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (35)(36) के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। जिसके अनुसार उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील अप्रार्थी की दलीलों का खंडन करते हुये वकील प्रार्थी श्री छगनलाल प्रजापत द्वारा दलील दी गई कि रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में दर्ज रकबे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। मात्र सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हुआ है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। मूल खसरा नंबर 58 से दोनों खसरें बने है तथा मौके पर खसरा नंबर 58 तथा 58/1 के मध्य माठ भी रकबे अनुसार सही है जिससे मौका स्थिति के अनुसार नक्शा में शुद्धि किये जाने की दलील दी। बहस के अंत में वकील प्रार्थी ने न्यायालय का ध्यान पूर्व में रास्ते बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 2019/00218 कुलदीपसिंह बनाम शिवनाथसिंह वगैरा में दिनांक 01.12.2020 को पारित आदेश के साथ प्रस्तुत नक्शा की प्रति जो पटवारी हल्का बेडा/दूदनी द्वारा दिनांक 17.06.219 को जारी की गई, की प्रति पेश कर दलील दी कि सेग्रीगेशन के पूर्व खसरा नंबर 58/1 व 58 की तरमीम उक्त नक्शा के अनुसार ही थी। जो मौका स्थिति अनुसार थी। जिसको सेग्रीगेशन के दौरान गलत दर्ज कर दिया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 58 का रकबा 1.4616 हैक्टर था तथा संपरिवर्तन के पश्चात बने बट्टा नंबर 2896/58 रकबा 1.4216 हैक्टर व खसरा नंबर 2897/58 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.4616 हैक्टर होता है। सेग्रीगेशन से पूर्व खसरा नंबर 58 के दो भाग खसरा नंबर 58 व 58/1 थे। खसरा नंबर 58 का रकबा 1.4616 हैक्टर एवं खसरा नंबर 58/1 का रकबा 0.8384 हैक्टर था लेकिन रकबे अनुसार तरमीम नहीं की गई तथा रकबा बराबरी के अनुसार भी मूल खसरा 58 व 58/1 की तरमीम शुद्धि होने पर मौका स्थिति के अनुसार पूर्व की स्थिति प्रतिस्थापित होना वर्णित किया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि उक्त प्रकरण धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में हुई त्रुटि को शुद्ध किये जाने बाबत है। जिस तथ्य को भूमिधारी तहसीलदार बाली द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया जा चुका है। वकील अप्रार्थी की उक्त आपत्ति कि राजस्व न्यायालय को उक्त प्रकरण राजस्थान	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हुए

काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(35)(36) के प्रावधानों अनुसार सुनने का अधिकार नहीं है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्शे में की गई त्रुटि को दुरस्त किये जाने बाबत है। जिस संबंध में विधि के प्रावधान इस न्यायालय को अनुमत करते है। जिससे वकील अप्रार्थी की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि पूर्व खसरा नंबर 58/1 व 58 के मध्य सेग्रीगेशन के पूर्व तरमीम सही थी परंतु सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम अशुद्ध होने से उक्त आवेदन पेश हुआ है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौके पर जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार ही दोनों पक्षों का कब्जा है तथा खसरा नंबर 58 व 58/1 के मध्य माठ भी रकबे अनुसार सही है। अतः प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2024/3246 दिनांक 13.12.2024 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नक्शे में शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। इसी अनुसार तरमीम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी

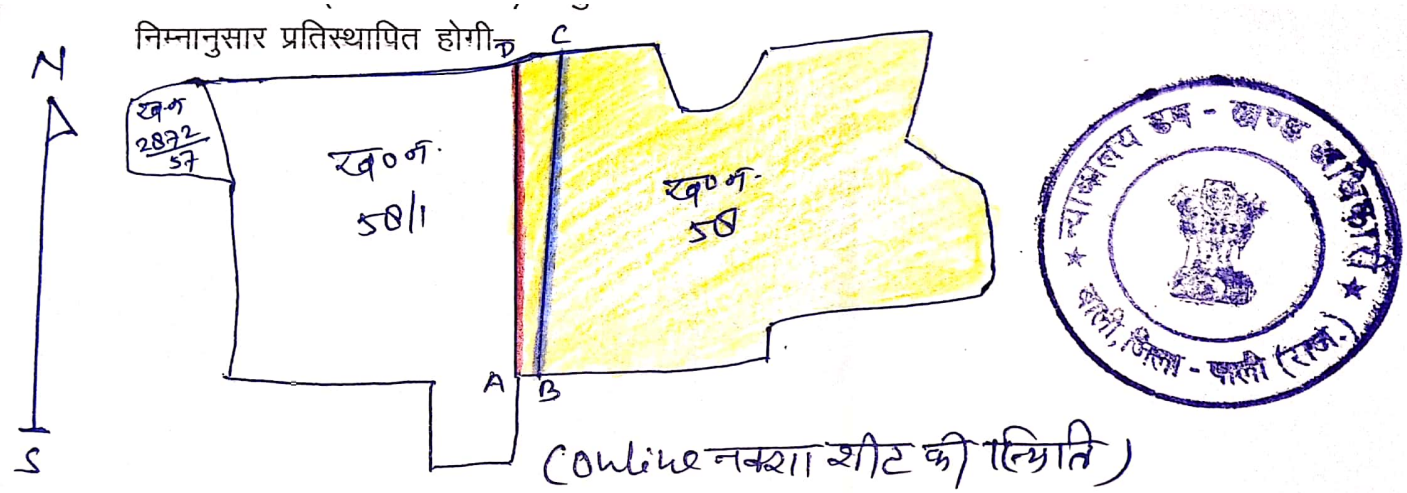

(Online नक्शा शीट की स्थिति)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सकेंत–

नजरी नक्शा सेग्रीगेशन के दौरान

Scanned with CamScanner